

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)-जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्‍नोई
2. प्रकरण संख्या : 46/2024
3. उनवान : श्योजीराम पुत्र हरजी राम
जाति जाट, निवासीयान श्रीरामपुरा, तहसील फुलेरा, जिला
जयपुर-ग्रामीण

-अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक,
जिला जयपुर

-रेस्पोडेन्ट

4. निर्णय दिनांक : 20/12/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री तेजाराम भंवरिया अपीलार्थीगण की ओर से।
ब) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम श्रीरामपुरा तहसील फुलेरा की भू-प्रबन्ध खतौनी सम्वत 2011 से 2029 के अनुसार मूल खसरा नम्बर 322 का रकबा 09 बीघा 7 बिस्वा किस्म बंजड 1 सिवायचक (सरकारी) खाते में दर्ज थी। तत्पश्चात जिलाधीश जयपुर के आदेश क्रमांक 1090 दिनांक 16.08.1962 के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 322 में से 7 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीरामपुरा के नाम खेल मैदान हेतु आवंटन हुई जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 211 दर्ज किया गया, परन्तु मौके पर आबादी/मकान बने हुये होने का कारण अंकित करते हुये दिनांक 20.02.1973 को तत्कालीन सरपंच द्वारा नामान्तकरण नामंजूर कर दिया गया। उक्त खसरा नम्बर 322 का शेष रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा भूमि नामान्तकरण संख्या 210 तस्दीक दिनांक 20.02.1973 के द्वारा सिवायचक से गै.मु. आबादी दर्ज हुई जो वर्तमान जमाबंदी में ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज है। उक्त विवादित भूमि पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीरामपुरा के नाम उक्त खसरा नम्बर 322 में से 07 बीघा भूमि आवंटन का नवीन नामान्तकरण संख्या 341 तत्कालीन राजस्व कार्मिकों द्वारा नियम विरुद्ध पुनः दर्ज किया गया जो पूर्व के आदेश से ही दर्ज किया गया जबकि उक्त आदेश का नामान्तकरण संख्या 11 खारिज हो चुका था। नियमानुसार खारिजशुदा नामान्तकरण की या तो अपील की जाती या पुनः आदेश जारी कर दर्ज किया जाना चाहिए था। विवादित भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीरामपुरा के नाम उक्त भूमि आवंटन से पूर्व ही आबादी बसी हुई थी तथा उक्त भूमि कमी भी खेत मैदान हेतु उपयोग में नहीं ली गई। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 322/1 रकबा 1.7703 हैक्टैयर (7 बीघा) के मौके पर आवासीय मकान एवं बाड़े बने हुये है। उक्त विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत श्रीरामपुरा के द्वारा दिनांक 23.09.1975 को आबादी भूमि मानते हुये आबादी भूमि पर बाडा व रोडी, घास डालने बाबत नोटिस दिया था तभी से ही उक्त भूमि आबादी भूमि रही है। उक्त विवादित भूमि पर ग्राम

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

पंचायत द्वारा कई लोगों के हक में पट्टे जारी कर रखे हैं। तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक, जिला जयपुर ने आज्ञा/निर्णय से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक निर्णय पारित कर दिया गया है। जबकि पटवारी की साक्ष्य भी मनमाने व गलत तरीके से तहसीलदार द्वारा करवाई गई है। तहसीलदार द्वारा आज्ञा से पूर्व जो नोटिस दिया गया है, वह कब्जा हटाने व हाजा के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में दिया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। जबकि अपीलार्थीगण को नोटिस जवाब देय का एवं साक्ष्य साबूत प्रस्तुत करने के संबंध में दिया जाना चाहिए था। उक्त प्रकरण से संबंधित सत्यता का अपीलार्थीगण को मालुम नहीं था। न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं देते हुये तहसीलदार ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 322/1 किस्म गै.मु. स्कूल मैदान रकबा 1.7703 हैक्टेयर में से 220 वर्गमीटर पर पक्का मकान व बाडा बनाकर स्थाई कब्जा है, उन्हे पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये ही आज्ञा पारित कर दी गई। अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर पुश्तैनी स्थाई कब्जा रहा है जो करीब 70 वर्षों से रह रहे हैं तथा 50 वर्षों से स्थाई बिजली कनेक्शन लगा हुआ है तथा उक्त विवादित भूमि सैटलाईट नक्शे में भी पूर्ण आबादी बसा हुआ क्षेत्र है। इस प्रकार अपीलार्थीगण ने राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक, जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 21.09.2023 है तथा उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं हो पायी तथा जब पटवारी द्वारा अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय की जानकारी बतायी गई तो अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 27.11.2024 को आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन कर नकल दिनांक 28.11.2024 को उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त की गई। जिस कारण उक्त अपील अन्दर मियाद पेश है।

अन्त में निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक, जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 21.09.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलार्थीगण ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, स्थगन प्रार्थना पत्र, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फुलेरा के प्रकरण संख्या 56/2023 निर्णय दिनांक 21.09.2023 की प्रमाणित प्रति पेश की।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। पत्रावली में मूल रिकार्ड मंगवाया गया तथा बहस उभयपक्ष सुनी गयी।


दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि जिलाधीश जयपुर के आदेश क्रमांक 1090 दिनांक 16.08.1962 के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 322 में से 7 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय श्रीरामपुरा के नाम खेल मैदान हेतु आवंटन हुई जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 211 दर्ज किया गया, परन्तु मौके पर आबादी/मकान बने हुये होने का कारण अंकित करते हुये दिनांक 20.02.1973 को तत्कालीन सरपंच द्वारा नामान्तकरण नामजूर कर दिया गया। उक्त खसरा नम्बर 322 का शेष रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा भूमि नामान्तकरण संख्या 210 तस्दीक दिनांक 20.02.1973 के द्वारा सिवायचक से

शुभुीररुड डुनरड सरकर

से डसी आडरडी डर डू-ररकुसुव अधिनडडड की धरर 91 की कररुडरही कररु डरनर डरवेकडूरुण नहीं है। उकडत हुतर कड तहसीलदरर एवं डुररड डुंडरडत कु इस संडुंध डें डुररनी आडरडी डसी हुने के कररण नडडडरनुसर उकडत कररुडरही कररनी कररुडर। डुररनरकररुड रर0उ0डर0 वरदुडरलय शुरीररडडुरर डुररर तहसीलदरर डुलेरर कु डुर डुरर कुरडरंक 2033 दरनरंक 06/04/2018 डें अंकडत कररुडर है कड "वरतडरन डें इस वरदुडरलय के डरस सुवरडडतुव रुरड से वरदुडरलय एवं खेल डैदरन के लरडु डुररड डुंडरडत डुररर कुल 8 डीघर डुडीन वरदुडरलय के नरड से दी गई थी। डह डुडीन इस वरदुडरलय हेतु डुरररुडत है। इससे डूरुव रर0 डुरर0 वर0 शुरीररडडुरर के नरड से कु डुडीन आरुवडुडत थी उस डर कररुडर डूरुव डूरुव से आडरडी थी कु डुरर डुंडरडत डें है। उसके डरस डकन डस कुके हैं। वरदुडरलय कु इस डुडीन की आरुवशुडकतर नहीं है। डुरशरसन उस डुडीन कु इकुडरनुसर आरुवडुडत कर सकतर है।"

अतः अडील अडीलरनुड सुवीकर की डरकर तहसीलदरर एवं डुररड डुंडरडत कु नररुदेशडत कररुडर डरतर है कड डुडीन सुथडत डर डुररनी आडरडी लडडडु 50-60 वरुष डूरुव से डसी हुने के डलसुवररुड नडडडरनुसर डुणररुवडुण के अधरर डर उकडत कररुडरही करुं।

नररुणड अरु डरनरंक 20/12/2024 कु खुले नुडररडरलय डें सुनररुडर डुरर। डुररररुवली डैसल शुरडरर की डरकर दरुड नडुडर से कड हु। डुररररुवली डरद तकडील तरतुड डरखल डुररुडर हु।



(कुनुतल वरशुनरुडु)
अतड. डुररररुवली कलकुडरर एवं
डुररररुवली डुररररुवली (तुतुडुडु)
डुरररुवली